चरान खड्ड बस्ती पुनर्वास समिति, धर्मशाला

Jt. Commr MC
Pl. examine & process under
House allotment scheme
08/7/16

8 जुलाई 2016

सेवा में

श्रीमान जिलाधीश, कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश

विषय: चरान खड्ड विस्थापित के पुनर्वास बाबत

महोदय,

जैसे कि आप जानते हैं, 16 17 जून 2016 को चरान खड्ड की 35 साल से अधिक पुरानी बस्ती को नगर निगम द्वारा हटा दिया गया। चरान खड के बाशिंदों को पुनर्वास के नाम पर बिना किसी प्रक्रिया या कार्यवाही के, बड़े ही अनौपचारिक रूप से तीन अलग गावों - गमरू, पास्सू और सर्रा में खाली ज़मीन दिखा के बोला गया 'यहाँ बस जाओ'। इन गांवो के स्थानीय लोगों ने चरान खड्ड वासियों को बसने पर विरोध जताया। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में प्रशासन को अवगत कराए जाने के बावजूद जिला प्रशासन ने झुग्गी के लोगों के प्रति बिना किसी संवेदनशीलता के झुग्गियां तुड़वा दी। रातों रात, महिलायें, बच्चे, बूढ़े, बीमार लोग सड़क पर आ गए। प्रशासन की अनदेखी यहीं रुकी नहीं बल्कि पुलिस के बल पर झुग्गीओं में रहने वाले बाशिन्दों को गाड़ीओं में ठूस कर अलग-अलग जगहों में छोड़ दिया गया। बारिश के मौसम में जहां लोगों को अपने परिवार व सामान के साथ 10 दिन तक दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी। प्रशासन की निष्क्रियता चलते अभी बड़ी कठिनाइओं के बाद लोगों को सर छुपाने के लिये चैतड़ू और शील्लाचौक के पास किराये में जगह मिली है।

25 जून 2016 को हमारे प्रतिनिधिओं ने आपके कार्यालय में आकर आपको मांगों ज्ञापन सौंपा था। जिसमें विभिन्न सरकारी आवास योजनाओं के अन्तर्गत शहर में/ के आस-पास पुर्नवासित कराया जाने की मांग करी गई थी। इस मांग को लेकर आपके द्वारा हमें यह आश्वासन दिया गया था की जल्द ही इस सन्दर्भ में आपके द्वारा कार्यवाही करी जायेगी।

Office of the Municipal Corporation
DHARAMSHALA
* DISTRICT KANGRA *
(H.P.)
08/7/16

आपके कहने पर 27 जून 2016 को हमनें आपके कार्यालय में आकर आपसे मुद्दे पर चर्चा करी थी। चर्चा के दौरान आपने पुनः हमें आश्वासित किया की चरान खड्ड बस्ती से विस्थापित किये गये परिवारों के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना तथा भूमि एलाट्मेंट की अन्य योजनाओं के अर्न्तगत पुर्नवासित करने की व्यव्स्था करी जायेगी।

चरान खड्ड बस्ती विस्थापन के बारे में 28 जून 2016 को स्वतंत्र अवलोकन टीम को भी आपने आश्वसान दिया था की आप इस सर्न्दभ में सकारात्मक कदम उठायेंगे। अवलोकन टीम की रिपोर्ट के मुताबिक शासन के द्वारा चरान खड्ड बस्ती में रह रहे लोगों के पुर्नवास के लिये अलग-अलग योजनाओं के अर्न्तगत योग्यता सम्बन्धित सर्वे कराया जायेगा। साथ ही यह भी आश्वासन दिया था की सर्वे टीम में विस्थापित समुदाय व सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जायेगा।

आज चरान खड्ड बस्ती का विस्थापन हुये 20 दिन पूरे हो गये हैं। लेकिन आज तक प्रशासन की तरफ से हमारे पुर्नवास के लिये क्या कदम लिये गये हैं वह हमें स्पष्ट नहीं हैं।

विस्थापन के बाद बस्ती के शिक्षार्थ बच्चों का भविष्य अन्धेरे में है। बस्ती में रह रहे लोगों को अभी अपनी आजीविका चलाने के लिये प्रतिदिन कठिनाइओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें सभी लोग आजिविका के लिये शहर के ऊपर निर्भर हैं वर्तमान में जहां रहने के लिये जगह मिली है वह शहर से दूर है। जिसकारण आमदनी का कोई साधन ढूंडने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अर्न्तगत नागरीकों के जीने के अधिकार की रक्षा की गई है। इसके अर्न्तगत आजीविका व आवास का अधिकार भी निहित है। अधिकतर विस्थापित परिवार अनुसूचीत जाति, जन जाति, गरीब और बैघर समुदाय की श्रेणी में आते हैं।

अतः हम आपसे आग्रहपूर्ण निवेदन करते हैं की :

1.पुर्नवास सम्बन्धित कागजी व जमीनी कार्यवाही जल्द से जल्द करी जायें।
2.पुर्नवास के लिये सर्वे टीम में आपके आश्वासन के मुताबिक विस्थापित समुदाय व सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किये जाने के निर्देश जारी किये जायें।
3.वर्तमान में रहने के ठीकानों पर बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शौचालय आदि मुलभुत सुविधायें प्रदान करी जायें।

आशा करते हैं की आपके द्वारा हमारी समस्याओं के ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही होगी।

धन्यवाद

प्रार्थी

चरान खड्ड बस्ती पुर्नवास समिति, धर्मशाला

Office of the Municipal Corporation
DHARAMSHALA
* DISTRICT KANGRA *
(H.P.)
28/7/16

1. कृष्णा
2. सतोष
3. जगमल
4. [illegible] देवी
5. Madhu Kumari
6. समिते
7. मनीषा
8. जानकी
9. बबीता
10. कश्मीरी लाल
11. सुनीता